न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चितौडगढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –70/2023

1. श्री रामस्वरूप पिता नाथुलाल जाति आदि गौड उम्र 67 वर्ष निवासी भैसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. कुशचन्द्र पिता नाथुलाल जाति आदि गौड उम्र 63 वर्ष निवासी भैसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. बनवारी पिता नाथुलाल जाति आदि गौड उम्र 59 वर्ष निवासी भैसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.................प्रार्थीगण

बनाम

जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, रावतभाटा। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री भूपेन्द्र पुरोहित।
अप्रार्थीः– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 26.11.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम मउपुरा प0ह0 बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ जमाबंदी सम्वत 2076–79 वर्ष से स्थाई खाता संख्या27 अनुसार आराजी संख्या 21 रकबा 5.40है0 किस्म नहरी 2 लगानी 48.60 रूपये भूमि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात पर आने–जाने का रास्ता ग्राम माउपुरा की बिलानाम सरकार भूमि आराजी संख्या 74 रकबा 0.83है0 किस्म जमीन बंजड में होकर सड़क तक जाता है। उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड अनुसार बिलानाम होकर राजस्थान सरकार के खाते में अंकित है। यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नही है और इस आराजीयात में समय समय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कांटो एवं पत्थर की दीवार बनाकर रास्ता रोक दिया जाता है। जिससे इन आराजीयात में आने–जानेका पहुंच रास्ता बन्द हो जाता है। इस प्रकार रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थीगणों को अपने खाते की आराजी तक हकाई करने हेतु साधन लाने–ले जाने, खेती में प्रयुक्त होने वाले साधन तथा स्वयं के भी आने जानेमें रूकावट हो जाती है। प्रार्थीगणों को उक्त बिलानाम सरकार आराजी संख्या 74 रबक्रा 0.83है0 भूमि में खाते की आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु 25 फीट चौडा रास्ता की स्थाई रूप से आवश्यकता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु जो भी राशि डी. एल.सी. दर अनुसार होगी वह समस्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराने को तैयार है एवं रास्ते प्रयोजनार्थ समस्त शर्तो की पालना करने को तैयार है। वांछित 25 फीट चौडाई की भूमि रास्ता प्रयोजन राजस्व रेकार्ड में अंकित करा नक्शें में पुख्ता तरमीम कराना आवश्यक एवं न्यायोचित है। ग्राम मउपुरा की वर्तमान आराजी संख्या 74 जिसका गत भू–प्रबन्ध अनुसार आराजी संख्या 7 था ततकालिन न्यायालय उपजिलाधीश बेगूं जरिये मि.नं. 163/77 से उक्त आराजी में रकबा 1 बीघा 10 बिश्वा (0.33है0) तहसीलदार बेगूं के प्रस्ताव अनुसार बमद रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। परन्तु तत्कालिन समय में राजस्व रिकार्ड में इसका अमल नहीं हुआ है। नकल निर्णय एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रति साथ संलग्न की गई है। प्रार्थी नजरी नक्शें में सांखलों का ढूंढा ग्राम की सड़क खसरा संख्या 75 पर मार्क A से B पर रास्ता कायम कराना चाहते है। इसी अनुरूप नियमानुसार आदेशानुसार फीस जमा कराने को तैया[illegible]म किये जाने वाला रास्ता नजरी नक्शें में A से B अंकन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.19 13:40:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। प्रकरण में रास्ता कायमी का होने से तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति [illegible] वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम मउपुरा प0ह0 सणीता आराजी संख्या 21 रकबा 5.40है0 भूमि कुशचन्द्र पिता नाथूलाल हिस्सा 1/3, बनवारी लाल पिता नाथुलाल हिस्सा 1/3, रामस्वरूप पिता नाथुलाल गौड जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 21 तक पहुंचने का रास्ता दर्ज नहीं है उक्त आराजी पर पहुंचने के लिए रास्ते आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा ग्राम मउपुरा की आराजी संख्या 74 रकबा 0.83है0 किस्म बंजड जो राजस्व रिकार्ड अनुसार बिलानाम दर्ज है उक्त आराजी संख्या 74 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है मौके पर रास्ता बना होकर चालु है,राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्राम मउपुरा की आराजी संख्या 75 रकबा 3.83है0 भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी से होकर मौके पर डामरीकरण सडक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का ओर कोई रास्ता नहीं है। आराजी संख्या 74 में प्रस्तावित रास्तें में कोई पक्का निर्माण नही है। प्रस्तावित रास्ता मे कोई कुआं/ट्यूबवेल नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाली आराजी संख्या 74 की भूमि किस्म बिलानाम आराजी संख्या 74 प्रस्तावित रकबा 980 वर्गमीटर है। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 486300/ रू प्रति हैक्टयर एवं 48.63 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते मे आने वाली कुल भूमि 980 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी रेट के हिसाब से 980X48.63=47658 रू बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को भुगतान कराना होगा।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 21 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए रास्ता ग्राम माउपुरा की बिलानाम सरकार भूमि आराजी संख्या 74 रकबा 0.83है0 किस्म जमीन बंजड में होकर सडक तक जाता है। उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड अनुसार बिलानाम होकर राजस्थान सरकार के खाते में अंकित है। यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नही है, लेकिन उक्त रास्ता आये दिन कुछ व्यक्ति रास्तें मे कांटे इत्यादि डाल कर बंद कर देते है, जिसके कारण प्रार्थीगण अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे हैं, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, उक्त रास्ते हेतु उपयोग मे आने वाली भूमि की राशि राजकोष में जमा करा नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार/राजकोष को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार इस रास्ते में आराजी संख्या 74 (980 वर्ग मी.) भूमि काम आयेगी। प्रार्थी को ग्राम मउपुरा की आराजी संख्या 74 के दक्षिणी मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 980 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 486300/ रू. प्रति है0 से 980X48.63=47658 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 47658 X2=95316 रू बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम मउपुरा पटवार हल्का बाडोलिया की आराजी संख्या 21 में आने जाने हेतु बिलानाम राजस्थान सरकार आराजी संख्या 74 रकबा 0.83 है0 में से दक्षिणी मेड के सहारे 980 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 980 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 486300/रू. अनुसार कीमत 47658 रू की दुगुनी दर से राशि 95316/रू. (अक्षरे रूपये पिच्यानवें हजार तीन सौ सौलह रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है, विपक्षी राजस्थान सरकार की बिलानाम की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 980 वर्गमीटर (राशि 95316 रू) का भुगतान विपक्षी/राजकोष में जमा किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभा[illegible] करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसील[illegible] का [illegible]ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख मे अमल हेतू तहसीलदार[illegible] की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ सलग्न [illegible] भेजी जावे।

निर्णय आज दिनाक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.19 13:40:58 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा